न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 20.02.2020

प्र0सं0 04 / 20

कालीचरण पुत्र झीतू जाति जाटव निवासी कस्बाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान — प्रार्थी

बनाम

कंवरलाल पुत्र सुन्दरा जाति जाटव निवासी कस्बाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान — अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय—दिनांक 12.08.2025

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से — श्री हेमराज नामदेवं एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से — श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहावाद में आराजी ख0नं0 872 / 1 रकबा 0.04 बीघा भूमि किस्म खेडा स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित भूमि प्रार्थी के खाते की है, जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि उपज रखने कृषि उपज तैयार करने आदि के उपयोग की है, कृषि उपज रखने हेतु प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दो कमरे पश्चिम दक्षिण कोने पर भी बनाये हुये हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से गत अप्रेल में उक्त कमरे कृषि उपज रखने के काम में लेने का निवेदन किया तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त दो कमरों में कृषि उपज रखने की इजाजत दे दी। अप्रार्थी ने प्रार्थी को आश्वासन दिया कि कृषि उपज बेचकर तीन चार माह में उक्त कमरे वापस प्रार्थी को सुपुर्द कर देगा। अप्रार्थी द्वारा उक्त कमरे खाली नहीं किये और निवास करना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी के निवास का विरोध कर विवादित परिसर प्रार्थी को सुपुर्द करने का कहा तो अप्रार्थी ने गंगा पूजन के कार्यक्रम का हवाला देकर जगह की कमी बताकर जल्द ही विवादित परिसर प्रार्थी को सुपुर्द करने का आश्वासन दिया। दिनांक 16.02.2020 को अप्रार्थी जिसका विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है ने सर्वथा अवैध रूप से जबरन तीन कमरों का निर्माण कार्य बावत 10—10 कारीगर लगाकर नींव खोदना चालू कर तेज गति से निर्माण कार्य जारी कर दिया। प्रार्थी ने रोका तो आमदा फसाद हो गया और प्रार्थी को धमकी दी कि तेरी भूमि पर मैने कब्जा कर लिया है और निर्माण करके रहूंगा, तुझ से जो बन पडे कर ले। इस प्रकार अप्रार्थी बहैसियत अतिकमी काबिज हो गया और निर्माण कर रहा है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य [illegible] अवैध विधि विरूद्ध व मनमाना है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य व धमकी से प्रार्थी [illegible] अधिकारों को भारी आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी [illegible] ला है, प्रार्थी खातेदार कृषक है। अप्रार्थी को निर्माण से नहीं रोका गया तो अप्रार्थी विवादित भूमि का [illegible] परिवर्तन कर देगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः दौराने दावा अ[illegible] को अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:14 IST
Reason: SelfAttested

12/08/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

से पाबंद फरमावें कि वह विवादित ग्राम कस्बाथाना [illegible] बीघा किस्म खेडा में दौराने वाद किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, भूमि के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश किया गया कि विवादित भूमि का मूल ख0नं0 872 तथा रकबा 7 विस्वा भूप्रबन्ध के समय खातेदार रतना लट्टू व कालीचरण पुत्र झीतू जाति चमार निवासी कस्बाथाना रहे हैं, इनमें से रतना लाऔलाद फोत हुआ है। उक्त नंबर की आराजी में से रतना ने अपना हिस्सा सम्वत 2016 में अप्रार्थी के पिता सुन्दरा पुत्र रमुआ को कीमतन 100 रूपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जब से उक्त आराजी रतना के हिस्से पर अप्रार्थी के पिता ताउम्र साधिकार काबिज रहे और उनकी मृत्यु उपरांत अप्रार्थी काबिज चला आ रहा है। विवादित स्थल राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, जिसमें 50 साल से काश्त नहीं हुई है, विवादित भूमि के चारों तरफ आबादी बस गई है अप्रार्थी के विवादित भूमि पर दो मकान एक कुआ चौक लेटवाथ बने हुये हैं तथा 3 कमरे निर्माणाधीन हैं। रतना के लाऔलाद फोत होने के बाद प्रार्थी व उसके भाई लट्टू ने बेईमानी कर जमीन वापस लेने की धमकी दी तब प्रार्थी व उसके भाई लट्टू ने ख0नं0 872 रकबा 7 विस्वा में से सवा दो विस्वा भूमि दिनांक 17.03.1997 को छः हजार रूपये में अप्रार्थी की पत्नि वैजन्तीबाई को विक्रय कर दी। इस तरह विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है अप्रार्थी व उसकी पत्नि वैजन्तीबाई विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज हैं। अप्रार्थी क्रम 1 व उसके पिता का विवादित आराजी पर 62 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, इस कारण वाद मियाद बाहर है। अतः प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कस्बाथाना सम्वत 2070–73 खाता संख्या 56 से विवादित भूमि ख0नं0 872/1 रकबा 0.04 बीघा से प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खाते की है, जो प्रस्तुत नक्शा अनुसार रोड के सहारे स्थित है। प्रार्थनापत्र के कथनानुसार विवादित भूमि में दो कमरे बने होना तथा परिसर का पत्थर कोट होकर गेट लगा होना संलग्न फोटोग्राफ से प्रमाणित है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि के मूल ख0नं0 872 रकबा 7 विस्वा में से रतना ने अपना हिस्सा सम्वत 2016 में अप्रार्थी के पिता सुन्दरा पुत्र रमुआ को कीमतन 100 रूपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा बाद में प्रार्थी व उसके भाई लट्टू ने ख0नं0 872 रकबा 7 विस्वा में से सवा दो विस्वा भूमि दिनांक 17.03.1997 को छः हजार रूपये में अप्रार्थी की पत्नि वैजन्तीबाई को विक्रय कर दी। इस तरह विवादित भूमि पर अप्रार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है [illegible] बाई विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज हैं। इसके जबाव [illegible] अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, विवादित भूमि का कोई [illegible] प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने अप्रार्थी को नहीं किया है। प्रस्तुत [illegible] फर्जी हैं, जिनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:14 IST
Reason: SelfAttested

12/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि ख0नं0 872/1 रकबा 4 विस्वा का रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से प्रमाणिकता हेतु साक्ष्य के मोहताज हैं, जिनका निराकरण मूल वाद में साक्ष्य उपरांत किया जावेगा। प्रथम दृष्टया विवादित भूमि प्रार्थी के खाते की होकर कृषि भूमि है, जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना कानूनन अवैध है। यदि अप्रार्थी को पाबंद नहीं किया गया तो निश्चय ही प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण में पूर्व से जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2020 को कन्फर्म किया जाता है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी विवादित भूमि ख0नं0 872/1 रकबा 4 विस्वा ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग पर कोई निर्माण नहीं करे और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

12/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:14 IST
Reason: SelfAttested